NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-09-2025

विषय सूची

» फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता
» मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता
» तीन पश्चिम अफ्रीकी देशों का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने का निर्णय
» पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती प्रासंगिकता
» सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता पर बल

संक्षिप्त समाचार

» रोश हशाना
» भारत-ADB द्वारा असम को 125 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर
» मैत्री 2.0 क्रॉस-इनक्यूबेशन प्रोग्राम
» भारत और मोरक्को द्वारा रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर
» ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (NAeG) 2025.
» प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन
» स्पर्श(SPARSH)
» एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (HQ IDS) द्वारा संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन (कोर) कार्यक्रम का आयोजन
» केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस
» अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस

फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता

संदर्भ

- फ्रांस और कई अन्य पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की।

परिचय

- फ्रांस की घोषणा ऐसे समय में आई है जब यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने हाल ही में मान्यता दी है।
  - हालांकि यह कदम प्रतीकात्मक है, क्योंकि अमेरिका का समर्थन नहीं है, जिसके पास सदस्यता को वीटो करने की शक्ति है।
- इज़राइली प्रधानमंत्री ने दोहराया कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और नए बस्तियों के निर्माण को तीव्र करने की घोषणा की।

फिलिस्तीन की मान्यता का प्रयास

- **पूर्व प्रयास:** फिलिस्तीन ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता के लिए प्रयास शुरू किए थे।
  - वर्तमान में उन्हें 2012 में "गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य" का दर्जा दिया गया है।
- **संयुक्त राष्ट्र में मान्यता:** सदस्य राज्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद के 15 में से कम से कम 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और इसके 5 स्थायी सदस्य – अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन एवं रूस – में से कोई भी वीटो नहीं करे।
  - अमेरिका ने प्रायः इज़राइल की विदेश नीति के अनुरूप वीटो का प्रयोग किया है, जिससे प्रस्ताव अवरुद्ध हुआ।
- 145 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है।
  - अल्जीरिया प्रथम देश था जिसने 15 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी।
  - भारत ने भी 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। कम से कम 45 देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, फिलिस्तीन को राज्य मानने से मना करते हैं।

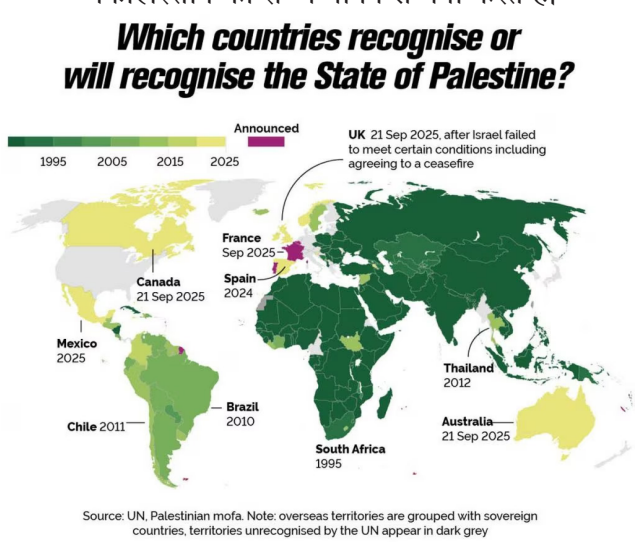

एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता के लिए मानदंड

- 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार, जिसे अधिकार और कर्तव्यों पर आधारित राज्य संधि कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होते हैं:
  - एक स्थायी जनसंख्या।
  - एक परिभाषित क्षेत्र।
  - एक प्रभावी सरकार और अंतरराष्ट्रीय संबंध।
  - औपचारिक राजनयिक प्रक्रियाएं जैसे दूतावास, राजदूत और संधियाँ।

फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति

- फिलिस्तीन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, विदेशों में राजनयिक मिशन हैं और ओलंपिक सहित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेता है।
- लेकिन इज़राइल के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण फिलिस्तीन की कोई अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सीमाएं, राजधानी या सेना नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, वेस्ट बैंक में इज़राइल के सैन्य नियंत्रण के कारण, 1990 के दशक में शांति समझौतों के अंतर्गत स्थापित फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) को अपने क्षेत्र या लोगों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है।

दो-राज्य समाधान क्या है?

- **संयुक्त राष्ट्र 1947 विभाजन योजना:** जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में क्षेत्र को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने की योजना बनाई।
- **अरब युद्ध:** अगले वर्ष इज़राइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद अरब पड़ोसी देशों के साथ युद्ध शुरू हो गया और योजना लागू नहीं हो सकी।
  - फिलिस्तीन की आधे से अधिक जनसंख्या को पलायन करने या जबरन हटाए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ा।
  - 1949 के युद्धविराम के अंतर्गत, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक एवं पूर्वी यरुशलम पर नियंत्रण किया, और मिस्र ने गाजा पर।
  - 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में इज़राइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पर नियंत्रण कर लिया।

- **दो-राज्य समाधान:** फिलिस्तीनी इन क्षेत्रों को भविष्य के स्वतंत्र राज्य के लिए चाहते हैं, और 1990 के दशक से चली आ रही शांति वार्ताओं का आधार 1967 से पहले की इज़राइल की सीमाओं पर आधारित दो-राज्य समाधान है।
  - इस समाधान को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर मतभेद हैं।
  - इज़राइल द्वारा वेस्ट बैंक में अवैध रूप से बस्तियों का निर्माण इस समाधान में एक प्रमुख बाधा माना जाता है।

राज्य के रूप में मान्यता का क्या अर्थ है?

- **राजनयिक अर्थ:** जो देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, वे इसे इज़राइल से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व का अधिकार देते हैं।
  - वे औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं जैसे दूतावास, राजदूत, संधियाँ।
  - मान्यता फिलिस्तीन के संप्रभुता और आत्मनिर्णय के दावे को मजबूत करती है।
- **कानूनी और अंतरराष्ट्रीय कानून का पहलू:** मान्यता फिलिस्तीन को केवल विवादित क्षेत्र नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक विषय के रूप में स्वीकार करती है।
- **संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंच:** फिलिस्तीन को 2012 से संयुक्त राष्ट्र में "गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य" का दर्जा प्राप्त है।
  - अधिक देशों द्वारा मान्यता मिलने से फिलिस्तीन को बहुपक्षीय वार्ताओं में अधिक वैधता मिलती है।
- **राजनीतिक महत्व:** मान्यता को प्रायः दो-राज्य समाधान के समर्थन के प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली बयान के रूप में देखा जाता है।
  - यह इज़राइल पर गंभीरता से वार्ता करने का दबाव बनाता है।

निष्कर्ष

- फिलिस्तीन को मान्यता देना अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उसे एक वैध, स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करना है।
- हालांकि, जब तक भूमि, सीमाओं और पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता पर नियंत्रण नहीं होता, यह केवल एक राजनीतिक एवं राजनयिक कदम ही रहेगा।
- इसलिए, मान्यता आवश्यक है लेकिन वास्तविक वैधता एवं स्थिरता केवल एक समझौते और दीर्घकालिक समाधान से ही संभव है।

Source: TH

मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता

संदर्भ

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी में रखने पर पुनर्विचार करने का 'उचित समय' आ गया है।

भारत में मानहानि के बारे में

- यह किसी भी बोले गए, लिखित या प्रकाशित कथन को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है।
- यह जीवित व्यक्तियों के साथ-साथ मृतकों पर भी लागू हो सकता है, जहां परिवार या निकट संबंधियों को होने वाली हानि प्रासंगिक माना जाता है।
- **दो प्रकार:**
  - **लाइबल (लिखित):** स्थायी रूप में मानहानिकारक कथन (जैसे लेखन, चित्र, प्रकाशन);
  - **स्लैंडर (मौखिक):** बोले गए या अस्थायी मानहानिकारक कथन।
- **कानूनी स्थिति:**
  - **दीवानी मानहानि:** यह टॉर्ट कानून द्वारा शासित होती है, जिससे पीड़ित पक्ष प्रतिष्ठा को हुई हानि के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।
  - **फौजदारी मानहानि:** यह भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 के अंतर्गत संहिताबद्ध है।
    - इसमें दो वर्ष तक की कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

अपराधीकरण समाप्त करने के पक्ष में तर्क

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)):** फौजदारी मानहानि स्वतंत्र अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करती है।
  - लेखक, पत्रकार और आलोचक केवल असहमति व्यक्त करने पर जेल जाने के जोखिम में रहते हैं।
  - फौजदारी मानहानि ब्रिटिश शासन द्वारा 19वीं सदी में राष्ट्रवादी आवाजों को दबाने के लिए लाई गई थी।
- **भारत का 22वां विधि आयोग (2023 रिपोर्ट):** इसने फौजदारी मानहानि को बनाए रखने की सिफारिश की, यह तर्क देते हुए कि प्रतिष्ठा एक आजीवन संपत्ति है जिसे कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
- **असंगत दंड:** भाषण से जुड़े अपराधों के लिए कारावास अत्यधिक है, जबकि दीवानी उपाय उपलब्ध हैं।
  - यह खोजी पत्रकारिता और व्हिसलब्लोइंग को हतोत्साहित कर सकता है।
- **राजनीतिक वर्ग द्वारा दुरुपयोग:** मामले प्रायः असहमति जताने वालों, मीडिया और व्हिसलब्लोअर्स को निशाना बनाते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय मानक:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति और वैश्विक अभिव्यक्ति संस्थाएं अपराधीकरण समाप्त करने की सिफारिश करती हैं।
  - भाषण के लिए आपराधिक दंड अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के वाचा (ICCPR) के मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जिसके भारत हस्ताक्षरकर्ता है।

अपराधीकरण समाप्त करने के विरोध में तर्क

- **प्रतिष्ठा की सुरक्षा (अनुच्छेद 21):** सर्वोच्च न्यायालय (2016, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ) ने फौजदारी मानहानि को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि प्रतिष्ठा जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
  - अतः स्वतंत्र अभिव्यक्ति और गरिमा के बीच संतुलन के लिए एक निवारक तंत्र आवश्यक है।
- **दीवानी उपाय अपर्याप्त हो सकते हैं:** लंबी और महंगी मुकदमेबाजी तथा क्षतिपूर्ति की मांग प्रभावी सुरक्षा नहीं दे सकती, विशेष रूप से उन आम नागरिकों के लिए जिनके पास संसाधन नहीं हैं।
  - फौजदारी अभियोजन त्वरित राहत और सुदृढ़ निवारक प्रदान करता है।
- **गैर-जिम्मेदाराना भाषण से सुरक्षा:** डिजिटल युग में मानहानिकारक सामग्री तीव्रता से और अपूरणीय रूप से फैलती है।

- आपराधिक कानून दुर्भावनापूर्ण झूठ के विरुद्ध सुदृढ़ निवारक के रूप में कार्य करता है।

- **मीडिया और राजनीतिक भाषण पर नियंत्रण:** प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना जांच के आरोप और अपमान प्रतिष्ठा को अपूरणीय हानि पहुंचा सकते हैं।
  - सरकार का दृष्टिकोण लापरवाह मीडिया ट्रायल से व्यक्तियों की सुरक्षा पर बल देता है।
- **भारतीय सामाजिक संदर्भ:** एक समाज में जहां प्रतिष्ठा आजीविका, विवाह और सामाजिक स्थिति को सीधे प्रभावित करती है, फौजदारी मानहानि को सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

आगे की राह

- **क्रमिक अपराधीकरण समाप्ति:** कारावास को जुर्माना या सामुदायिक सेवा से प्रतिस्थापित करें।
- **दीवानी कानून को मजबूत करना:** दीवानी मानहानि मामलों को फास्ट-ट्रैक करें और क्षतिपूर्ति की राशि पर उचित सीमा निर्धारित करें।
- **प्रतिष्ठा की सुरक्षा के उपाय:** मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता और क्षमा याचना तंत्र लागू करें।
- **सामुदायिक सेवा:** इसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा वैकल्पिक दंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य दंडात्मक भार को कम करना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है।

Source: TH

तीन पश्चिम अफ्रीकी देशों का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने का निर्णय

समाचार में

- बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने घोषणा की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से तुरंत हट जाएंगे, इसे "नव-औपनिवेशिक दमन का उपकरण" करार देते हुए।

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के बारे में

- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) एक स्वतंत्र, स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना 2002 में रोम संविधि के अंतर्गत की गई थी।
- यह हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है और यह विश्व की एकमात्र न्यायालय है जिसे व्यक्तियों (राज्य नहीं) के विरुद्ध सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों—नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, अवन आक्रामकता के अपराध—की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
- ICC का क्षेत्राधिकार उन अपराधों पर लागू होता है जो सदस्य देशों की भूमि पर, सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ICC को संदर्भित किए गए मामलों में किए गए हों। 2025 की शुरुआत तक इसके 125 राज्य पक्ष (सदस्य) हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे प्रमुख शक्तियाँ इसके सदस्य नहीं हैं तथा इसकी अधिकारिता को मान्यता नहीं देतीं।

ICC से संबंधित मुद्दे और आलोचनाएँ

- **अफ्रीकी पक्षपात और चयनात्मक न्याय की धारणा:** आलोचकों (जिसमें अफ्रीकी संघ के नेता भी शामिल हैं) का तर्क है कि यह "चयनात्मक न्याय" या नव-औपनिवेशिकता को दर्शाता है, विशेष रूप से तब जब विश्व के अन्य हिस्सों में गंभीर अत्याचारों की रिपोर्टें हैं लेकिन ICC ने वहां अभियोजन नहीं किया है।
- **प्रभावशीलता और प्रवर्तन की समस्याएँ:** ICC के पास स्वयं का पुलिस बल नहीं है और यह गिरफ्तारी एवं प्रवर्तन के लिए सदस्य देशों पर निर्भर करता है।
- **सार्वभौमिक अधिकारिता की कमी:** प्रमुख राष्ट्र (अमेरिका, चीन, रूस, भारत, इज़राइल आदि) रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति ICC की सार्वभौमिकता और पहुंच को कमजोर करती है।
- **धीमी कार्यवाही और उच्च लागत:** ICC की कार्यवाही का समय और व्यय को लेकर आलोचना हुई है, क्योंकि 2002 से अब तक वर्षों की जांच के बावजूद केवल कुछ ही दोषसिद्धियाँ हुई हैं।

Source: TH

पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती प्रासंगिकता

संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक चिकित्सा 88% सदस्य देशों — 194 में से 170 देशों — में प्रचलित है।

परिचय

- **बढ़ती स्वीकार्यता:** विश्लेषकों का अनुमान है कि वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा बाजार 2025 तक $583 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 10%–20% के बीच होगी।
- **देशवार बाजार:** चीन की पारंपरिक चीनी चिकित्सा का मूल्य $122.4 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया की हर्बल चिकित्सा उद्योग का मूल्य $3.97 बिलियन, तथा भारत के आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) क्षेत्र का मूल्य $43.4 बिलियन आंका गया है।
- **स्वास्थ्य देखभाल में परिवर्तन:** यह विस्तार स्वास्थ्य देखभाल दर्शन में एक मूलभूत बदलाव को दर्शाता है — प्रतिक्रियात्मक उपचार मॉडल से सक्रिय, निवारक दृष्टिकोण की ओर, जो केवल लक्षणों के बजाय मूल कारणों को संबोधित करता है।

आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी)

- आयुष विभाग का मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुष प्रणाली के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
- आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल तथा उपचार विधियाँ सम्मिलित हैं।
- सरकार इन प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से बढ़ावा देती है।

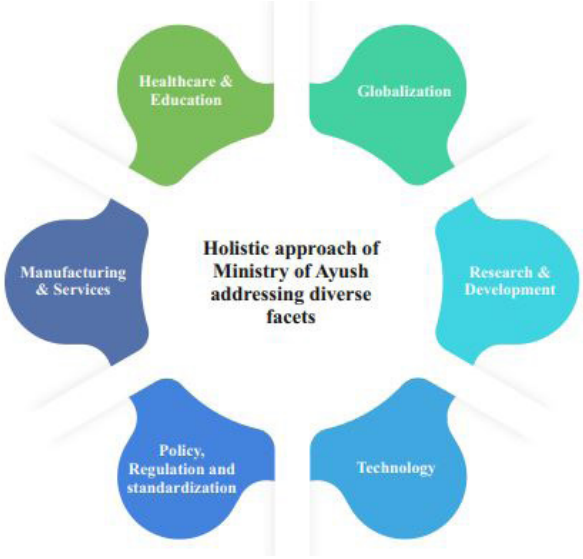

आयुष प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:

- **आयुर्वेद:** यह जड़ी-बूटियों, आहार और जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से समग्र उपचार पर केंद्रित है। यह शरीर, मन एवं आत्मा में संतुलन पर बल देता है।
- **योग और प्राकृतिक चिकित्सा:** योग आसनों, श्वास अभ्यास और ध्यान के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक उपचार और जीवनशैली में बदलाव पर बल देती है।
- **यूनानी:** यूनानी चिकित्सा ग्रीक चिकित्सा से उत्पन्न हुई है, जो हर्बल उपचारों का उपयोग करती है और शरीर के तत्वों के बीच संतुलन पर बल देती है।
- **सिद्ध:** यह दक्षिण भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, जो रसायन विज्ञान और हर्बल चिकित्सा पर केंद्रित है।
- **होम्योपैथी:** "समानता द्वारा उपचार" के सिद्धांत पर आधारित, यह विभिन्न रोगों के उपचार के लिए अत्यधिक अत्यधिक विलयित पदार्थों का उपयोग करती है।

भारत का आयुर्वेदिक परिवर्तन

- आयुष उद्योग, जिसमें 92,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं, ने एक दशक से भी कम समय में लगभग आठ गुना विस्तार किया है।
- भारत अब $1.54 बिलियन मूल्य के आयुष और हर्बल उत्पादों को 150 से अधिक देशों में निर्यात करता है।

- वर्तमान में, आयुर्वेद को 30 से अधिक देशों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **आयुष वीज़ा:** गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए चिकित्सा उपचार जैसे चिकित्सीय देखभाल, वेलनेस और योग हेतु एक नया वीज़ा श्रेणी "आयुष वीज़ा" शामिल किया है।
- अब तक, मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय सहयोग (IC) योजना के अंतर्गत 08 देशों — केन्या, अमेरिका, रूस, लातविया, कनाडा, ओमान, ताजिकिस्तान एवं श्रीलंका — में यूनानी और आयुर्वेद के 50 से अधिक उत्पादों का पंजीकरण किया गया है।
- **वैश्विक मान्यता:** आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के जामनगर में विश्व का प्रथम और एकमात्र वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (WHO GTMC) स्थापित किया है।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में सर्वसम्मति से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया।

सरकारी पहलें

- **वैश्विक विस्तार:** भारत ने 25 द्विपक्षीय समझौते और 52 संस्थागत साझेदारियाँ की हैं, और 39 देशों में 43 आयुष सूचना केंद्र स्थापित किए हैं।
- **आयुष मंत्रालय:** 2014 में स्थापित यह मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और प्रथाओं को विनियमित करने के लिए समर्पित है।
- **NAM:** सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) की केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य आयुष प्रणालियों का प्रचार एवं विकास है।
  - **आयुष ग्राम अवधारणा के अंतर्गत,** व्यवहार परिवर्तन संचार, स्थानीय औषधीय जड़ी-बूटियों की पहचान और उपयोग हेतु ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, एवं आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के माध्यम से आयुष आधारित जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाता है।
- **आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (AYUSHEXCIL):** इसे आयुष मंत्रालय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से वैश्विक स्तर पर आयुष उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
- **वैज्ञानिक मान्यता:** भारत ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, और आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान हेतु केंद्रीय परिषद जैसे संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान में महत्वपूर्ण निवेश किया है।
  - ये संस्थान नैदानिक मान्यता, औषध मानकीकरण और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ने वाले समन्वित देखभाल मॉडल के विकास पर केंद्रित हैं।
- **आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC):** इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आरोग्य मेलों का आयोजन, मल्टीमीडिया अभियान, प्रचार सामग्री की तैयारी और वितरण (ऑडियो-विज़ुअल सामग्री सहित) जैसी प्रचार गतिविधियाँ करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रचार:** मंत्रालय विदेशी देशों में अंतरराष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आयुष विशेषज्ञों को भेजता है, जिससे आयुष प्रणालियों का प्रचार और प्रसार हो सके।

Source: TH

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता पर बल

समाचार में

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक दक्षता को सुधारने के लिए स्पष्ट मानकों के साथ न्यायाधीशों के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया।

वर्तमान स्थिति

- भारत की न्यायपालिका, भले ही अपनी स्वतंत्रता के लिए सम्मानित हो, लेकिन बढ़ते मामलों की लंबितता और असंगत प्रदर्शन का सामना कर रही है।

- न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दक्षता बढ़ाने और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए एक संरचित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता और लाभ

- **अत्यधिक लंबित मामले:** अकेले सर्वोच्च न्यायालय में 88,000 से अधिक मामले लंबित हैं; उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं।
  - स्पष्ट मापदंड विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में मामलों के निपटान की दर को ट्रैक और अनुकूलित करने में सहायता कर सकते हैं।
- **असंगत उत्पादकता:** कुछ न्यायाधीश उत्कृष्ट निपटान दर प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य अस्पष्ट मानकों या प्रणालीगत जड़ता के कारण पिछड़ जाते हैं।
- **जन अपेक्षा:** नागरिक समयबद्ध न्याय की अपेक्षा करते हैं, और विलंब न्यायपालिका में विश्वास को कमजोर करता है।
  - वस्तुनिष्ठ मानक पारदर्शिता को बढ़ाते हैं और जनता का विश्वास मजबूत करते हैं।
- प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली दक्ष न्यायाधीशों पर अत्यधिक भार डालने से रोक सकती है और कमजोर प्रदर्शन को संबोधित कर सकती है।

मुद्दे और चिंताएँ

- न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली लागू करने को लेकर प्रमुख चिंता यह है कि यदि मापदंडों का दुरुपयोग हुआ तो यह न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
- मूल्यांकन के लिए निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को परिभाषित करने की चुनौती।
- भारत की उच्च न्यायपालिका में वर्तमान उदाहरणों की कमी, और इस प्रणाली के रैंकिंग या दंडात्मक उपकरण में बदलने की संभावना, जिससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है और न्यायिक गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
- मूल्यांकन स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है या कार्यपालिका के अतिक्रमण को आमंत्रित कर सकता है।

निष्कर्ष और आगे की दिशा

- न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली न्यायपालिका को पुनर्जीवित कर सकती है, न कि व्यक्तियों को दंडित करने का माध्यम बने।
- जैसा कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बल दिया, न्यायाधीशों के पास अत्यधिक शक्ति होती है और उन्हें इसे विनम्रता एवं जवाबदेही के साथ प्रयोग करना चाहिए।
- पारदर्शी मापदंडों के माध्यम से संस्थागत आत्मनिरीक्षण की मांग की जा रही है, जिससे न्यायपालिका अधिक दक्ष, उत्तरदायी और लोकतंत्र का एक विश्वसनीय स्तंभ बन सके।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

रोश हशाना

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रोश हशाना की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

रोश हशाना

- रोश हशाना यहूदी त्योहार है जो सृष्टि की रचना और नए वर्ष की शुरुआत का उत्सव मनाता है।
- यह एक पवित्र अवसर है जो आत्मचिंतन, क्षमा और आने वाले वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने पर केंद्रित होता है।
- यहूदी समुदाय का विश्वास है कि इस समय के दौरान, ईश्वर उनके विगत वर्ष के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और आगामी वर्ष के भाग्य का निर्धारण करते हैं।

Source :PIB

भारत-ADB द्वारा असम को 125 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर

संदर्भ

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने असम राज्य के छह जिला मुख्यालयों और गुवाहाटी में शहरी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा जलवायु सहनशीलता को बढ़ाने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसके 69 सदस्य हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
- विश्व बैंक के मॉडल पर आधारित, ADB सदस्य देशों की पूंजी सदस्यता के आधार पर भारित मतदान प्रणाली का उपयोग करता है।
  - भारत बैंक में चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है (जापान (15.6%), संयुक्त राज्य अमेरिका (15.6%), चीन (6.4%) और भारत (6.3%))।
- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य अपने विकासशील सदस्य देशों को गरीबी कम करने और समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से सतत विकास एवं क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करना है।
- ADB भारत को मजबूत, जलवायु-सहनशील और समावेशी विकास में समर्थन देता है, जो ADB की रणनीति 2030 एवं भारत देश साझेदारी रणनीति (2023–2027) के अनुरूप है।
- **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस।

Source: AIR

मैत्री 2.0 क्रॉस-इनक्यूबेशन प्रोग्राम

समाचार में

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने नई दिल्ली में ब्राज़ील–भारत एग्रीटेक क्रॉस-इनक्यूबेशन कार्यक्रम के दूसरे संस्करण (मैत्री 2.0) का शुभारंभ किया।

मैत्री 2.0

- यह भारतीय और ब्राज़ीली नवप्रवर्तकों के बीच सह-निर्माण के लिए एक द्विपक्षीय सीखने का मंच है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़, नवोन्मेषी और समावेशी कृषि-खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- इसका उद्देश्य इनक्यूबेटरों को जोड़ना, सह-इनक्यूबेशन को बढ़ावा देना, और सतत कृषि, डिजिटल तकनीक तथा मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग को प्रोत्साहित करना है, जिससे लचीली खाद्य प्रणालियाँ विकसित हों तथा भारत-ब्राज़ील नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा सके।

महत्व

- मैत्री 2.0 कृषि, प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के लक्ष्यों के अनुरूप एक रणनीतिक कदम है।

Source :PIB

भारत और मोरक्को द्वारा रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर

परिचय

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री ने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

मोरक्को

- मोरक्को पश्चिमी उत्तर अफ्रीका का एक पर्वतीय देश है, जो स्पेन के सामने जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के पार स्थित है।

- मोरक्को की सीमाएँ पूर्व और दक्षिण-पूर्व में अल्जीरिया, दक्षिण में पश्चिमी सहारा, पश्चिम में अटलांटिक महासागर एवं उत्तर में भूमध्य सागर से लगती हैं।
- यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से जुड़ी हुई है।

Source: AIR

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (NAeG) 2025

संदर्भ

- ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2025 से सम्मानित किया गया।

परिचय

- NAeG एक नई श्रेणी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो डिजिटल सेवा वितरण में बुनियादी स्तर की पहलों को समर्पित है।
- प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल होता है — स्वर्ण पुरस्कार के लिए ₹10 लाख और रजत पुरस्कार के लिए ₹5 लाख — जिसे नागरिक केंद्रित पहलों को सुदृढ़ करने में पुनः निवेश किया जाता है।
- **मंत्रालय:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPGP) द्वारा पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के सहयोग से।
- यह प्रथम बार दिया गया ऐसा सम्मान सरकार की इस सोच को दर्शाता है कि सुशासन का सर्वोत्तम तरीका डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से है।
- महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत राज्य की पहली ग्राम पंचायत बन गई है जिसने पूर्णतः पेपरलेस ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाया है।

Source: PIB

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन

संदर्भ

- सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
  - इस विस्तार के साथ, उज्ज्वला योजना के कुल कनेक्शन की संख्या 10.58 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में

- यह योजना भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई थी और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
- इस योजना का उद्देश्य कोयला और लकड़ी जैसे हानिकारक ईंधनों के स्थान पर स्वच्छ एलपीजी का उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि घर के अंदर धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।
- यह योजना पूरी तरह से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, जिसमें प्रथम रिफिल और चूल्हा भी शामिल है।
  - योजना के अंतर्गत सभी PMUY उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से) ₹300 प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी भी दी जाती है।
- PMUY का प्रारंभिक लक्ष्य गरीब परिवारों को 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था, जिसे सितंबर 2019 में प्राप्त कर लिया गया।
  - अधिक परिवारों तक पहुंचने के लिए अगस्त 2021 में PMUY 2.0 शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत जनवरी 2022 तक अतिरिक्त 1.6 करोड़ कनेक्शन वितरित किए गए।

Source: AIR

स्पर्श(SPARSH)

संदर्भ

- पेंशन प्रशासन प्रणाली – रक्षा (SPARSH) ने 6.43 लाख विरासत विसंगति मामलों में से 5.60 लाख मामलों (87%) का समाधान कर लिया है, जिससे रक्षा पेंशनभोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

परिचय

- SPARSH विश्व की सबसे बड़ी रक्षा पेंशन प्रणाली है।
- पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) – SPARSH रक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन के प्रशासन के लिए एक व्यापक डिजिटल समाधान प्रदान करना है।

- यह प्रणाली विखंडित पेंशन प्रबंधन को एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है, जिससे शिकायतों में कमी आए तथा रक्षा पेंशनभोगियों को गरिमा प्राप्त हो।
- वर्तमान में, 202 रक्षा लेखा विभाग (DAD) कार्यालय, 4.63 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और 5200+ बैंक शाखाएँ SPARSH सेवा केंद्र के रूप में कार्यरत हैं।

SPARSH सेवा केंद्र

- SPARSH सेवा केंद्र पेंशनभोगियों के लिए संपर्क बिंदु हैं, जहाँ वे पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
- यदि पोर्टल तक पहुँच उपलब्ध नहीं है, तो ये केंद्र पेंशनभोगियों को इंटरफेस और सहायता प्रदान करेंगे।

Source: PIB

एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (HQ IDS) द्वारा संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन (कोर) कार्यक्रम का आयोजन

संदर्भ

- संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन (CORE) कार्यक्रम का आयोजन एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (HQ IDS) द्वारा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

परिचय

- यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा पर नागरिक-सैन्य संवाद के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में कार्य करती है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी तथा रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालयों के अधिकारी एक साथ आते हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य रणनीतिक जागरूकता को बढ़ाना और प्रतिभागी अधिकारियों को नए दृष्टिकोणों से सुसज्जित करना है, जिससे वे भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं में व्यावहारिक, सूचित एवं संतुलित निर्णय ले सकें।
- **CORE के विषयों में शामिल हैं:**
  - क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का विकास,
  - युद्ध की प्रकृति पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव,
  - रणनीतिक संचार का महत्व, और
  - जटिल और बहुआयामी खतरों से निपटने में नागरिक और सैन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय की बढ़ती आवश्यकता।

Source: PIB

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस

समाचार में

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी 51वीं स्थापना दिवस मनाई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बारे में

- यह एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई थी, और बाद में इसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हुए।
- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण मंत्रालय को भी सहयोग प्रदान करता है।
- CPCB का मुख्य कार्य जल स्रोतों की स्वच्छता को बढ़ावा देना और प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए CPCB राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम (NAMP) संचालित करता है, जो प्रदूषण की प्रवृत्तियों को ट्रैक करने और योजना तथा औद्योगिक विनियमन में सहायता करता है।
- यह नई दिल्ली के ITO में एक स्वचालित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी संचालित करता है, जो नियमित रूप से प्रदूषकों का मापन करता है।

Source :PIB

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि विश्वभर में बधिर लोगों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने में सांकेतिक भाषा के महत्व को उजागर किया जा सके।
- 23 सितंबर को बधिर लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र सांकेतिक भाषाओं को पूर्ण प्राकृतिक भाषाएं मानता है, जो मौखिक भाषाओं से भिन्न होती हैं। भारत में, भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का उपयोग बधिर और श्रवण-सक्षम दोनों समुदायों द्वारा किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र की विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD), जिसे 2006 में अपनाया गया था, सांकेतिक भाषाओं को मौखिक भाषाओं के बराबर मान्यता देता है और देशों से बधिर समुदाय की भाषाई पहचान को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है।
- भारत ने इस अभिसमय को 2007 में अनुमोदित किया, जिससे बधिर लोगों के अधिकारों को बनाए रखने और भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई।
- इस दिवस को प्रथम बार 2018 में अंतरराष्ट्रीय बधिर सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया था।
- यह तिथि विश्व बहरे महासंघ (WFD) की 1951 में स्थापना की स्मृति में भी मनाई जाती है।
- इस वर्ष की थीम "सांकेतिक भाषा अधिकारों के बिना कोई मानवाधिकार नहीं" इस बात पर बल देती है कि बधिर लोगों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक भाषाओं की मान्यता और उपयोग आवश्यक है।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व बहरे महासंघ (WFD) के अनुसार, विश्वभर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं, जिनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं।
- भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 50 लाख बधिर व्यक्ति दर्ज किए गए थे।

Source: AIR

■■■■